पत्र सं0-विधि 4(2)-Mission Shakti Logo-/2021-22/ 334/2122017 /वाणिज्य कर।

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 16 अगस्त, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः-भारी उद्योगों, कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों एवं व्यापारिक संस्थानों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष अभियान-**मिशन शक्ति** संचालित किये जाने के संबंध में।

कृपया औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-2241/77-6-2021 दिनांक 03-08-2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मिशन शक्ति अभियान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराये जाने एवं निर्धारित प्रारुप में माहवार सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

तत्क्रम में गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के पत्र दिनांक 28-07-2021 के अनुसार भारी उद्योगों, कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों एवं व्यापारिक संस्थानों में **'मिशन शक्ति'** विशेष अभियान हेतु (दिनांक 01 अगस्त, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक) माहवार कार्ययोजना/दिशा-निर्देश जारी किए गये है, जो संलग्नक पत्र में उल्लिखित हैं इसके अतिरिक्त कतिपय बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1- विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा एवं कार्यालयों में महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता कार्यशाला, लैंगिक आधारित संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन / वेबिनार कराना।

2- पोस्टर / बैनर / डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से मिशन शक्ति अभियान का प्रचार-प्रसार किया जाए।

3- समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में महिलाओं हेतु पृथक टायलेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

4- समस्त कार्यालयों, समस्त यूजर्स विशेषकर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कार्यालय परिसर में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा जहॉं पर लाइट लगी हो उनको दुरुस्त (Fit) कर ली जाए व जिन स्थानों पर लाइट की व्यवस्था नहीं है उन्हें समयान्तर्गत चिन्हित कर आवश्यक व्यवस्था की जाए।

5- समस्त कार्यालयों में पार्किंग स्थलों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

6- सुरक्षा की दृष्टि से समस्त कार्यालयों में सी0सी0टी0वी0 आधारित मानीटरिंग की व्यवस्था की जाए।

7- इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त व्यवस्था-ए0आई0आर0-1997 पृष्ठ 3011 विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं शासनादेश सं0(4072/60-3-2002-3(42)/97 महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, दिनांक 15-01-2002 के अनुपालन में मुख्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 17-10-2012 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रत्येक कार्यालय में महिला सुरक्षा समिति / शिकायत समिति व महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुपालन में उक्त अधिनियम की धारा-4 के अनुसार

आन्तरिक परिवाद समिति (Internal Complaint Committee) का गठन किया गया था। उक्त कमेटियों को पुनर्जीवित एवं एक्टिव करते हुए उन्हें **मिशन शक्ति** कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार में भी प्रयोग में लाया जाए।

8- उपरोक्त गठित समितियों के सदस्यों के नाम व दूरभाष नंम्बर समस्त कार्यालयों के सार्वजनिक सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए।

अतः शासन का उक्त पत्र संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त बिन्दुओं एवं शासन के पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से मुख्यालय के विधि अनुभाग की ई-मेल **vidhianubhag001@gmail .com** पर माहवार सूचना निर्धारित प्रारुप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

16/8/2021

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

AU545731745HN 3/24

1/8
11.8.21

संख्याः 2251/77-6-2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/डीएमआईसी-आईआईटीजीएनएल/यूपीसीडा/लीडा/सीडा/गीडा/यूपीडा।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।
3. आयुक्त,
वाणिज्य कर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 03 अगस्त, 2021**

विषयः भारी उद्योगों, कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों एवं व्यापारिक संस्थानों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष अभियान-**मिशन शक्ति** संचालित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के पत्र दिनांक 28.07.2021 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के शासनादेश संख्या-957/6-पु0-15-2020 दिनांक 15.10.2020 के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में गांवों व कस्बों के स्तर पर अभियान चलाकर अधिक से अधिक महिलाओं जोड़ने का आवश्यकता है। साथ ही महिलाओं से जूड़ी आपराधिक घटनाओं पर संवेदनशीलता पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए पुनः मिशन शक्ति योजना को नवीन ऊर्जा के साथ नई दिशा देने हेतु विशेष अभियान में सम्मिलित प्रत्येक विभाग की अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से विभागों द्वारा मिशन शक्ति के अगले चरण की विस्तृत कार्ययोजना को मूर्तरूप दिया जाना है।

2- अवगत कराना है कि गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के क्रम में प्रथम चरण में दिनांक 17.10.2020 से दिनांक 25.10.2020 तक मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संदर्भ में औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या 3116/77-6-2020, दिनांक 16.10.2020 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। तत्क्रम में औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-3303/77-6-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 के माध्यम से दूसरे चरण के अन्तर्गत (माह नवम्बर 2020 से माह अप्रैल 2021 तक) के संबंध में मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। इसके क्रम में शासनादेश संख्या-769/77-6-2021 दिनांक 22.02.2021 तथा शासनादेश संख्या-831/77-6-2021 दिनांक 25.02.2021 द्वारा 10 दिवसीय कार्ययोजना/दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

3— अतः गृह (पुलिस) अनुभाग—15 के पत्र दिनांक 28.07.2021 के क्रम में भारी उद्योगों, कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों एवं व्यापारिक संस्थानों में **'मिशन शक्ति'** विशेष अभियान हेतु (दिनांक 01 अगस्त, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक) माहवार कार्ययोजना / दिशा—निर्देश निम्नवत् हैः—

(क) माह अगस्त, 2021

- मिशन शक्ति कार्यक्रम के पुनः: प्रारम्भ के विवरण के विषय में सूचित करने के उद्देश्य से माह अगस्त, 2021 के प्रथम् सप्ताह में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा राज्य के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी—

(i) मिशन शक्ति कार्यक्रम के राज्यव्यापी पुनः शुभारंभ के लिए बड़े कॉर्पोरेशंस / कम्पनियों को नामित करना।

(ii) जागरूकता कार्यक्रमों व कार्यशालाओं के आयोजन के लिए उद्योगों को चिन्हित करने में सहायता प्रदान करना

(iii) जागरूकता कार्यशालाओं को आयोजित करने हेतु दिशा—निर्देश

(iv) इस संबंध में आयोजित कार्यक्रमों के फोटो, मीडिया बाइट, वीडियोक्लिप संकलित करना।

- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की जागरूकता कार्यशालाओं से आच्छादित उद्योगों एवं श्रमिकों की संख्या का माहवार लक्ष्य निर्धारित कर दिनांक 09 अगस्त, 2021 तक विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा नोडल अधिकारी या प्राधिकरणों द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले जागरूकता वेबिनार की संख्या का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। यह जागरूकता वेबिनार उद्योगों के स्वामियों तथा प्रबंधन के साथ प्रतिभागियों के रूप में आयोजित किया जाएगा, ताकि उन्हें विभाग द्वारा निरूपित 'कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण दिशा—निर्देश एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों' के प्रलेख में उल्लिखित सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अंगीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

  औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किए जाने वाले वेबिनारों की संख्या तथा आच्छादित उद्योगों की संख्या का माहवार लक्ष्य 09 अगस्त, 2021 तक विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) माह सितम्बर, 2021

- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण सितंबर माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक कार्यक्रम की विगत माह की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण सितंबर माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक आयोजित कार्यक्रमों के फोटो, मीडियाबाइट, वीडियोक्लिप विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

- औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के समन्वय से विभाग को उनके द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों के अनुसार जागरूकता कार्यशालाएं एवं वेबिनार आयोजित करते रहेंगे।

(ग) माह अक्टूबर, 2021

- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक कार्यक्रम की विगत् माह की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक आयोजित कार्यक्रमों के फोटो, मीडियाबाइट, वीडियोक्लिप विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के समन्वय से विभाग को उनके द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों के अनुसार जागरूकता कार्यशालाएं एवं वेबिनार आयोजित करते रहेंगे।

(घ) माह नवम्बर, 2021

- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक कार्यक्रम की विगत् माह की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक आयोजित कार्यक्रमों के फोटो, मीडियाबाइट, वीडियोक्लिप विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के समन्वय से विभाग को उनके द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों के अनुसार जागरूकता कार्यशालाएं एवं वेबिनार आयोजित करते रहेंगे।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक संगठनों के समन्वय से उन महिला उद्यमियों को नामित करेंगे, जो मिशन शक्ति कार्यक्रम के उपरान्त अपने प्रतिष्ठान में औद्योगिक श्रमिकों के व्यवहार एवं उद्योग के कार्य के वातावरण में परिवर्तन के विषय में औद्योगिक–केंद्रित दिवस, अर्थात् दिनांक 30 दिसंबर, 2021 को अपने अनुभव साझा करेंगी। प्राधिकरणों द्वारा माह के अंत तक नामित महिला उद्यमियों की सूची विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक संगठनों के समन्वय से फील्ड स्तर पर मिशन शक्ति कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख पुरुष/महिला व्यक्तिओं को चिन्हित एवं नामित भी करेंगे, जिन्हें औद्योगिक–केंद्रित दिवस, अर्थात् दिनांक 30 दिसंबर, 2021 को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान विशेष मान्यता प्रदान की जाएगी। प्राधिकरणों द्वारा माह के अंत तक मिशन शक्ति कार्यक्रम के लिए नामित प्रमुख पुरुष/महिला प्रेरकों की सूची फील्ड स्तर पर विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

(ङ) माह दिसम्बर, 2021

- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक कार्यक्रम की विगत् माह की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक आयोजित कार्यक्रमों के फोटो, मीडियाबाइट, वीडियोक्लिप विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के समन्वय से विभाग को उनके द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों के अनुसार जागरूकता कार्यशालाएं एवं वेबिनार आयोजित करते रहेंगे।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक–केंद्रित दिवस, अर्थात् दिनांक 30 दिसंबर, 2021 की कार्ययोजना दिनांक 20 दिसंबर, 2021 तक विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा औद्योगिक संगठनों के समन्वय से व्यापक मीडिया कवरेज के साथ औद्योगिक–केंद्रित मिशन शक्ति वृहद् कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 30 दिसंबर, 2021 को किया जाएगा।
- औद्योगिक विकास प्राधिकरण दिसंबर माह की प्रगति रिपोर्ट दिनांक 01 जनवरी, 2022 तक विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

4– उक्त विशेष अभियान में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं औद्योगिक संगठनों द्वारा संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी गयी सूचना का संकलन इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा किया जायेगा।

5– कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः /77–6–2021तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, औद्योगिक विकास विभाग, को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
6. विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15 उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव।

मिशन शक्ति कार्यक्रम हेतु सूचना उपलब्ध कराने का प्रारूप

1— जागरूकता वर्कशाप हेतु माहवार सूचना उपलब्ध कराने का प्रारूप—

प्राधिकरण का नाम	माह	माह के लिए निर्धारित लक्ष्य	कुल संचालित वर्कशाप की संख्या	आच्छादित उद्योगों की संख्या	आच्छादित कुल कर्मचारियों की संख्या	प्रतिभाग करने वाली महिलाओं की संख्या

2— जागरूकता वेबिनार हेतु माहवार सूचना उपलब्ध कराने का प्रारूप—

प्राधिकरण का नाम	माह	माह के लिए निर्धारित लक्ष्य	कुल संचालित वेबिनार की संख्या	आच्छादित उद्योगों की संख्या	प्रतिभाग करने वाली महिलाओं की संख्या